Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Settlement Revision No.- 227/2021

Baunu Mandal ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत बंदोबस्ती पुनरीक्षण वाद न्यायालय अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी, कटिहार द्वारा बंदोबस्ती अपील सं0–15/2015–16 में दिनांक–05.03.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध धारा–4A भूमि सुधार अधिनियम–1950 के अंतर्गत दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल–बरारी (वर्त्तमान कुर्सेला), मौजा–मुरादपुर, खाता सं0–3066 एवं 2250, खेसरा सं0–9660 एवं 9670, रकवा क्रमशः–1.93 एकड़ तथा 0.47 एकड़, कुल–2.40 एकड़ विवादित भूमि है, जो राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य के नाम दर्ज है। आवेदक के दादा स्व0 बुद्धू मंडल भूस्वामी राजेन्द्र प्रसाद के नौकर थे जिन्होंने 75 वर्ष पूर्व उक्त भूमि इनके दादा को खास दखल देते हुए बंदोबस्त कर दिया। जिसपर ये वंशानुगत दखलकार हैं किन्तु सर्वे में राजेन्द्र प्रसाद एवं भुवनेश्वरी प्रसाद के नाम गलती से खतियान दर्ज हो गया। भूस्वामी ने इन्हें केवाला कर देने का आश्वासन दिया जो नहीं हो सका। खेसरा सं0–9660, रकवा–1.93 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित होते हुए विपक्षियों ने नाम बंदोबस्ती वाद सं0–26/1976–77 द्वारा लालकार्ड निर्गत होने के आधार पर उनके द्वारा दावा किया जाने लगा। चकबंदी कार्यवाही सं0–4301/1989 में उक्त भूमि इनके पिता चरमनी मंडल के दखल में प्रतिवेदित है। आवेदक द्वारा उक्त बंदोबस्ती वाद सं0–26/1976–77 के विरूद्ध निम्न न्यायालय में उपरोक्त वाद दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् इनके दावे को अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश क्षेत्राधिकार एवं तथ्यों से परे तथा अवैध है। उक्त भूमि पर इनके दादा के काल से 70 वर्ष पूर्व से ही ये दखलकार रहे हैं। भूलवश खतियान राजेन्द्र प्रसाद वगैरह के नाम दर्ज हो जाने के कारण उनके द्वारा कुछ राशि प्राप्त करते हुए इनके पक्ष में विक्रय संलेख निष्पादित करने का आश्वासन दिया गया था जो नहीं हो सका।	

Web Copy Not Official.

		लालकार्डधारी उक्त भूमि पर कभी भी दखलकार नहीं रहे हैं। बिना स्थल जाँच किये ही विपक्षी के नाम लालकार्ड निर्गत कर दिया गया है। इन्हें उक्त भूमि के अलावे अन्य कोई भूमि नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षियों की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है बल्कि इन्हें परेशान करने की नियत से दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि इन्हें लालकार्ड से प्राप्त है जिसपर अंशतः दखलकार हैं तथा भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। भूस्वामी द्वारा आवेदक के दादा बुद्धू मंडल को उक्त भूमि बंदोबस्त किये जाने की बात पूर्णतः गलत है क्योंकि उनके पक्ष में कोई कागजात/साक्ष्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर इनके द्वारा खेती की जाती है जो आवेदक द्वारा मवेशियों से नुकसान कर दिया जाता है। इसके विरूद्ध उनके खिलाफ विशेष न्यायालय, कटिहार में परिवाद पत्र सं0–18/1996 दायर किया गया है जिसमें आवेदक जेल भी गये हैं। आवेदक द्वारा इन्हें बराबर उक्त भूमि खाली करने की धमकी दी जाती है। आवेदक का दावा बिल्कुल आधार विहीन है। निम्न न्यायालय आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत विधिवत् अधिग्रहित करते हुए अधिसूचना सं0–22 दिनांक–14.02.1976 प्रकाशित है। अधिग्रहण पश्चात् उक्त भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–26/1976–77 द्वारा विपक्षियों को नियमानुकूल बंदोबस्त की गई है। विवादित भूमि पर आवेदक का कोई वैध अधिकार परिलक्षित नहीं होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

WebCopy Not Official.

Web Copy. Not Official.